न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./124/2023/बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

1. पूरा पुत्र मूला 2. पेमा पुत्र अचला कायम मुकाम 2/1थानाराम पुत्र पेमा 2/2गुमानसिंह पुत्र पेमा 2/3पारूदेवी पत्नी पेमा 3. खंगारा पुत्र सालू फौत का.मु. 3/1जीयाराम पुत्र खंगारा 3/2खरथाराम पुत्र खंगारा 3/3धन्नाराम पुत्र खंगारा 3/4वीरमाराम पुत्र खंगारा 3/5मीरों पत्नी खंगारा 4. भीखा पुत्र पदमा 5. हरलाल पुत्र शेरा फौत का.मु. 5/1वालाराम पुत्र हरलाल 6. फूसाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. पुरखाराम उर्फ पुरिया पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मुख्यालय बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/1989 बअनवान पुरखा बनाम पूरा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.1991 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रोशनलाल विशनोई रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—06.12.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि खसरा संख्या 141 रकबा 270.05 बीघा, खसरा संख्या 142 रकबा 16.19 बीघा, खसरा संख्या 166 रकबा 25

06.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बीघा, खसरा संख्या 167 रकबा 33.19 बीघा कुल रकबा 346.03 बीघा मौजा सिणधरी चारणान तहसील गुड़ामालानी में आये हुए है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 पूरा का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 पेमा व प्रतिवादी संख्या 3 खंगारा का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार मौके पर बाहामी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है तथा मौके पर काविज है तथा वादी अच्छी व उपजाऊ किस्म की भूमि अपने हिस्से में रखते हुऐ बंटवाड़ा करवाने की इस्तदुआ चाहते हुए वाद पेश किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार

06.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कर पेश किया गया। हस्तगत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड कर उभयपक्ष की उपस्थिति में मौके से विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में तैयार कर मंगवाया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है तो अपील स्वीकार करने में रेस्पोडेंटस को कोई आपति नहीं है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर वहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अरसा एक माह पूर्व उतरदातागण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप अपीलांटगण की ढांणिया आदि ध्वस्त करने हेतु प्रयास किया जाने लगा जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांटगण ने आलोच्य निर्णय व वाद की नकले दिनांक 14.09.2023 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 03.10.2023 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम गलत रूप से की गई तरमीम की जानकारी हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उभयपक्षकारान ने वक्त बहस प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

06.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मुख्यालय बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/1989 बअनवान पुरखा बनाम पूरा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.1991 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार वाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.02.2024 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

06.12.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 06.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर